तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पं0 आदित्य नारायण पाण्ड़े बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 71/2019	
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पं0 आदित्य नारायण पाण्डे अधिवक्ता, पता बरामदा सं0 9, वस्ता सं0 8 कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, ईटावा (उ0 प्र0) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.01..19 में उसके द्वारा (1) प्रर्कीण वाद संख्या 81/2009 मुनीमसिंह बनाम धीरेन्द्र सिंह कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 निर्णय दिनांक 10.01.2011 में निर्णित हुआ था। आयुक्त कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 एवं सहायक श्रमायुक्त कानपुर क्षेत्र कानपुर कैम्प इटावा के पत्रांक 175–78 दिनांक 21.12.18 का वसूली प्रमाण पत्र सेवा में जिलाधिकारी/कलक्टर जिला जोधपुर (रजि0) को भेजे गये सम्बोधित पत्र पर अभी तक वसूली हुई है अथवा नहीं, व अन्य बिन्दुओ, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 613 दिनांक 16.05.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रभारी अधिकारी जिराले अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 357 दिनांक 19.03.19 द्वारा बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है।. चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा अपील के संलग्न कागजात के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजा गया पत्र भी मिल चुका है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार सूचना दी गई, विधिवत पूर्ण सूचना है, किसी प्रकार से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः अपील निरस्त योग्य है। द्वितीय अपील **राजस्थान राज्य सूचना आयोग**, झालाना लिंक रोड़, ओ0टी0एस0 चौराहा, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017 (राज0) है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	